राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर,बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस

राजस्व वाद स. 54 / 2019 जीसीएमएस नम्बर :– 2019 / 00682

1. सन्तोष देवी पत्नी पूर्ण उम्र 60 वर्ष
2. रमेश पुत्र पूर्ण उम्र 35 वर्ष
3. सुभाष पुत्र पूर्ण उम्र 32 वर्ष
4. सजना पुत्री पूर्ण उम्र 37 वर्ष
5. कमलेश पुत्री पूर्ण उम्र 30 वर्ष समस्त जाति कुम्हार निवासी ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... वादीगण

– ब ना म –

1. अमीर सिंह पुत्र श्री श्रीराम उम्र 40 वर्ष
2. राजेन्द्र पुत्र श्री श्रीराम उम्र 35 वर्ष
3. सुरेश पुत्र श्री श्रीराम उम्र 42 वर्ष
4. हजारी लाल पुत्र श्रीराम उम्र 45 वर्ष

(क्रम 1 से 4) जाति कुम्हार नि. ढाढोत खुर्द तह. बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

5. बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैक शाखा ढाढोत कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना एवं तहसीलदार भू–अभिलेख बुहाना

..............प्रतिवादीगण

दावा –घोषणात्मक एवं खाता विभाजन

उपस्थिति –
1.श्री राजेश कुमार यादव, अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2.श्री अशोक यादव, प्रति. सं. 1 लगायत 4 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 30–11–2022

वादी की ओर से हस्तगत वाद पत्र –घोषणात्मक एवं खाता विभाजन इन संक्षिप्तत: अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि वाके ग्राम ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना स्थित भूमि गत ख.न. 6 रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा का खातेदार प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 का हकपूर्वाधिकारी श्रीराम पुत्र श्री झुथाराम जाति कुम्हार निवासी ढाढोत खुर्द था। जिसने गत ख.न. 6 मे से 3 बीघा पुख्ता भूमि जरिए पंजिकृत विक्रय [illegible] वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पूर्ण पुत्र धनसुख जाति कुम्हार निवासी किठाना हाल [illegible] ढाढोत खुर्द को 3000/–रू. में बेचान कर कब्जा उसी समय वादीगण के हकपूर्वाधिकारी [illegible] दिया था जिस पर वादीगण का हकपूर्वाधिकारी पूर्ण अपने जीवन [illegible] तथा मौके पर [illegible] भूमि मे फसल कास्त करता रहा वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पूर्ण [illegible] 2014 मे मृत्यु हो [illegible] वादीगण ही उसके वारीस हैं । तथा प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 के हकपूर्वाधिकारी श्रीराम की सन् 2016 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

लगभग मृत्यु हो चुकी हैं। श्रीराम की मृत्यु के बाद इस भूमि की खातेदारी प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 के नाम दर्ज हो गई।

भूमि गत ख.न 6 रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा के हाल बन्दोबस्त ने नये ख.न. 17 रकबा 6.40 हैक्टर कायम किये हैं । इस हाल ख.न. 17 में 4 बिस्वा भूमि गत ख.न. 7 की भी शामिल की गई है। इस प्रकार गत ख.न. 6 व 7 से हाल ख.न. 17 रकबा 6.40 हैक्टर कायम किये गये हैं।

वादीगण द्वारा गत ख.न. 6 रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा मे से दिनांक 28.07.1980 को वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पूर्ण ने 3 बीघा पुख्ता भूमि खरीद की थी जिसका मिट्रिक प्रणाली मे रकबा 0.75 हैक्टर बनता हैं जिस पर वादीगण का हकपूर्वाधिकारी एवं उसकी मृत्यु के बाद वादीगण बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक काबिज हैं लेकिन इसकी खातेदारी वादीगण के हकपूर्वाधिकारी एवं वादीगण के नाम दर्ज नही हुई क्योंकि सन् 1980 में भूमि का राजस्व रिकॉर्ड बन्दोस्त विभाग के पास था उस दौरान बन्दोबस्त की कार्यवाही चल रही होने के दौरान वादीगण के नाम इस खरीदशुद्धा भूमि की खातेदारी दर्ज नही हुई उसके बाद इस भूमि के नये ख.न. कायम कर दिये गये । तथा इसके बाद वादीगण का मौके पर कब्जा तो था लेकिन उन्होने राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नही की एवं वादीगण के नाम इस भूमि की खातेदारी में नाम दर्ज नहीं हुए। इसके पश्चात वादीगण के हकपूर्वाधिकारी की मृत्यु हो गई उसके बाद विक्रेता प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 के हकपूर्वाधिकारी श्रीराम की भी मृत्यु हो गई। तथा यह भूमि पहले प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 के हकपूर्वाधिकारी के नाम एवं अब प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 के नाम दर्ज रह गई एवं उक्त प्रविष्ट्यिो को बार–बार दौराया जाता रहा।

वाद वर्णित भूमि गत ख.न. 6 रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा मे से वादीगण के हकपूर्वाधिकारी ने दिनांक 28.07.1980 को 3 बीघा पुख्ता भूमि अर्थात् 0.75 हैक्टर रकबा खरीद कर काबिज हो गया था उसके बाद से वादीगण इस पर काबिज हैं एवं इसके खातेदार बन चुके हैं लेकिन विक्रय पत्र दिनांक 28.07.1980 के द्वारा खरीद किये गये रकबे की खातेदारी में वादीगण का नाम दर्ज नही हुआ इसलिए वादीगण अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 एवं उनके हकपूर्वाधिकारी श्रीराम ने गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड में वाद वर्णित भूमि हाल ख.न. 17 के सम्पूर्ण रकबा पर ऋण प्राप्त कर दिया जबकि इस भूमि में से 0.75 हैक्टर रकबा वादीगण का हैं जिस 0.75 हैक्टर रकबा पर प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 या इनके हकपूर्वाधिकारी को ऋण लेने का कोई हक व अधिकार नही था तथा प्रतिवादी स. 5 द्वारा वादीगण के रकबा पर दिया गया ऋण वादीगण के हक व अधिकारो पर प्रभावहीन एवं शुन्य हैं। तथा उक्त ऋण की अदायगी के लिए प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 उतरदायी हैं एवं प्रतिवादी स. 5 भी प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 से उक्त ऋण की प्राप्ति के लिए अधिकारी हैं। इस प्रकार वादीगण के 0.75 हैक्टर रकबा पर प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 द्वारा लिया गया एवं प्रतिवादी स. 5 द्वारा दिया गया ऋण प्रभावहीन एवं शुन्य हैं। प्रतिवादी स. 5 इस भूमि के वादीगण के 0.75 हैक्टर रकबा के अलावा शेष बचे रकबा से उक्त ऋण वसूल कर सकता हैं वादीगण का खरीदशुदा रकबा 0.75 हैक्टर रकब ऋणमुक्त घोषित किये जाने योग्य हैं। एवं उक्त ऋण वादीगण के हक अधिकारो पर प्रभाव हीन एवं शुन्य घोषित किये जाने योग्य हैं।

वाद वर्णित हाल ख.न. 17 [illegible] हैक्टर में वादीगण का 0.75 हैक्टर रकबा दिनांक 28.07.1980 से खरीदशुदा होने एवं इसकी खा[illegible]गण के नाम दर्ज नही होने एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 व उनके [illegible] स. 5 से लिया गया इस भूमि पर ऋण लेने से वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं [illegible] मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:51:39 IST
Reason: SelfAttested

दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि गत ख.न. 6 रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल ख.न. 17 रकबा 6.40 हैक्टर निर्मित किये गये हैं इसमे वादीगण द्वारा दिनांक 28.07.

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

1980 को 3 बीघा रकबा अर्थात् 0.75 हैक्टर रकबा खरीद करने एवं इसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज नही होने एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 द्वारा प्रतिवादीसं. 5 से वादीगण के 0.75 हैक्टर को शामिल रखते हुए ऋण लेने एवं वादीगण का नाम इस भूमि की खातेदारी मे दर्ज नही होने एवं खाता संयुक्त रहने से पैदा हुआ है। अतः दावा अन्दर मियाद हैं। वैसे भी इस प्रकार के दावो के लिए कानून में कोई मियाद निर्धारित नही हैं। अंत में ग्राम ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि ख.न 17 रकबा 6.40 हैक्टर में से वादीगण को बहिस्सा बराबर 0.75 हैक्टर रकबा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 द्वारा प्रतिवादी स. 5 से वादीगण के 0.75 हैक्टर रकबा पर लिया गया ऋण प्रभावहीन एवं शुन्य घोषित किया जाकर 0. 75 हैक्टर रकबा वादीगण के नाम दर्ज कर प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 4 का शेष रकबा प्रतिवादी स. 5 के यहां रहन होना दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर इसी अनुसार रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया एवं यह भी निवेदन किया कि वाके ग्राम ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि ख.न 17 रकबा 6.40 हैक्टर में से वादीगण के 0. 75 हैक्टर रकबा का खाता विभाजित कर लगान अलग से कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने का प्रतिवादी स. 6 को आदेश दिये जाने कि कृपा करें।दावा वादीगण विरूद प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीगण जिसके वाजिब हकदार हो प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 सम्यक तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आए। इकबाली जवाब पेश होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई एवं अभिवचनों की स्वीकृति के कारण बहस सुनी गई। असल विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया। मुताबिक विक्रय पत्र वादीगण के हकपूर्वाधिकारी पूर्ण ने प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी श्रीराम से गत खसरा नम्बर 6 में से तीन बीघा पुख्ता भूमि जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28.07.1980 को खरीद की थी। भूमि गत खसरा नम्बर 6 एवं 7 दोनो ही प्रतिवादी स.1 लगायत 4 के हकपूर्वाधिकारी श्रीराम के नाम खातेदारी दर्ज रही हैं गत खसरा न. 6 व 7 से हाल खसरा नम्बर 17 रकबा 6.40 हैक्टेयर बनाया गया है। गत खसरा न. 7 का केवल 4 बिस्वा ही रकबा था गत खसरा न. 6 व 7 से बने हाल खसरा नम्बर 17 का रकबा 6.40 हैक्टर हैं जिसकी खातेदारी बंदौबस्त बाद प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी श्रीराम के नाम दर्ज रही है तथा श्रीराम की मृत्यू के पश्चात उनके वारीसान प्रतिवादीगण स.1 लगायत 4 के नाम दर्ज है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 17 रकबा 6.40 हैक्टेयर में से वादीगण 3 बीघा अर्थात 0.75 हैक्टेयर रकबा के खातेदार घोषित किए जाने योग्य हैं एवं अपने इस 0.75 हैक्टेयर रकबा का खाता भी विभाजित करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 17 पर प्रतिवादी संख्या 5 से ऋण ले रखा है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 5 वादीगण के 0.75 हैक्टेयर रकबा के अलावा जो शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम रहता है। उससे अपनी ऋण राशि वसूल करने के अधिकारी हैं। अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का शेष रकबा पूर्व की भांति रहन योग्य है। एवं वादीगण का रकबा 0.75 हैक्टर के वादीगण बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किये जाने योग्य हैं इस प्रकार वादीगण का दावा डिक्री योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:51:39 IST
Reason: SelfAttested

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक [illegible]2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 07–10–2022 को प्राप्त हुई । वादी ने [illegible] उपस्थित होकर निवेदन किये हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर [illegible] सहमत है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–: आदेश :–

न्यायालय वाद वादीगण खाता व लगान विभाजन को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 6.40 हैक्टेयर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 30-11-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर,बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस

राजस्व वाद स. **54 / 2019** जीसीएमएस नम्बर :– 2019 / 00682

सन्तोष देवी आदि बनाम अमीर सिंह आदि

दावा –घोषणात्मक एवं खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 की ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट** उपस्थित इस वाद में आज तारीख 30–10–2022 को श्री **सुनील कुमार चौहान, उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादीगण खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 6.40 हैक्टेयर भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30–10–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित करखुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:51:39 IST
Reason: SelfAttested